

	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	Rfgd. No. RJ. 33/97 RAJASTHAN,GAZETTE <i>Extraordinary</i>
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 12, बुधवार, शाके 1919-दिसम्बर 3, 1997 <i>Agrahayana 12, Wednesday, Saka 1919— December 3, 1997</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उपविधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

कार्मिक (क-गुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 20, 1997

जी. एस. आर. 78.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978 में, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में-

(1) नियम 4 के विद्यमान उप नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(3) इन नियमों के अधीन जिलों में नियुक्त किये जाने वाले लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों और विशिष्ट लोक अभियोजकों की संख्या उतनी होगी जितनी उप-नियम (2) के अधीन समय-समय पर अवधारित की जाये और यह कि सेवा में उक्त पदों की संख्या, राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत लोक अभियोजकों, अपर लोक अभियोजकों और विशिष्ट लोक अभियोजकों के पदों को छोड़कर, राज्य में के ऐसे पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।”

17.	The Rajasthan Service Rules, 1960.
18.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960.
19.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960.
20.	The Rajasthan Industries Service Rules, 1960.

